


Order Sheet (Subsequent)


2023/610
CNR NUMBER

कार्यालय सहायक कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
(आर.डी.ओ.), जोधपुर P/366/ year 2023

Number of Case रामलकाश Versus कंठारसिंह व अन्य
पुस-53, 188 R.T.A. 1955

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of the
06/01/26	<p>पत्रावली पेश हुई। आज पीठासीन अधिकारी SIR-2026 में AERO के रूप में - No Mapping मतदाताओं की सुनवाई में व्यक्त होने से पत्रावली गत्र आदेशिका अनुकार आबंदा दिनांक - 24/02/2026 को पेश की।</p> <p style="text-align: center;">  सहायक कलेक्टर (आर.डी.ओ.) जोधपुर </p>	
13/02/2026	<p>वादी ने ज़रूरी अधिनस्ता एक धार्पणा पत्र वाकत "मिसल तलब करने" प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि "वादी अपने वाद पत्र की सुनवाई आज ही करवाना चाहता है। अतः मिसल को आज ही तलब करने का खाफिर आदेश फरमाने।" धार्पणा पत्र शामिल मिसल दी। उक्त पक्षकारान् को सूचित किया गया। पत्रावली तलब की गई। वादी द्वारा धार्पणा पत्र प्रस्तुत किया गया। शामिल मिसल दी। उक्त धार्पणा पत्र में वादी द्वारा यह निवेदन किया गया है कि - "संकरण में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य समाज के मौतबरी लोगों की मध्यस्थता से राजीनामा हो चुका है। उक्त संकरण को मैं आगे नहीं चलावा हूँ। लीट अदालत की भावना से उक्त संकरण को ज़रूरी विही करना चाहता हूँ। अतः धार्पणा पत्र पीशा</p>	

रामलकाश (Identified)



S. S. S. S.

Order Sheet (Subsequent)

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक), जोधपुर

CNR NUMBER 2023/610

Number of Case

P/366/Year 2023

राम प्रकाश

Versus

गैवर सिंह व अन्य

U/S - 53, 198 R.T.A. 1955

Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
<p>कर श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रकरण को जल्द से जल्द फास्ट ट्रेक में फेरल करना है। 53, 1981 का अधिनियम द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर किये गये। जिसकी पहचान वादी अधिनियम द्वारा की गई। अतः वादी का वाद अन्तर्गत द्वारा 53, 1981 का अधिनियम अधिनियम जल्द से जल्द खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदम फेरल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो।</p>	



19
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जोधपुर